



MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY



Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India

Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001

M vc@mgaugkp.ac.in www.mgaugkp.ac.in

Office No.: 0551-2989819

Ref.....MGAU/2022-2023/636

Date: 31/10/22

प्रपत्र-5

सम्बद्धता की सहमति

स्थानीय जाँच समिति के आख्या के आधार पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 13 (क) के अधीन अनुमति देने की शर्त पर सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट रायपुर राजा पुलिस लाइन रोड, विपरित-एल.आर.पी. गेस्ट हाउस बहराइच द्वारा प्रस्तावित सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज गा0 व पोस्ट- सबलपुर, तहसील-महसी, बहराइच उ0प्र0 को सत्र 2022-2023 में 60 स्नातक (बी0ए0एम0एस0) सीटों के साथ प्रस्तावित आयुर्वेद महाविद्यालय को सम्बद्धता देना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

31/10/22  
(आर0ब00 सिंह)  
कुलसचिव

नोट-यह कन्सेन्ट ऑफ एफिलियेशन कार्य परिषद के निर्णय दिनांक-24.06.2022 के अनुसार निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिए मान्य है।

31/10/22  
कुलसचिव

11	पाप्य आयुर्वेद चिकित्सक जनसंख्या अनुपात	निर्धारित नहीं।
----	---	-----------------

मुख्य द्रस्टी, सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर राजा, पुलिस लाईन रोड, एल0आर0पी0 गेस्ट हाऊस के सामने, बहराइच द्वारा डा0 सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ग्राम व पोस्ट सबलापुर, तहसील महसी, जनपद बहराइच उ0प्र0 में आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने आवेदक मुख्य द्रस्टी, सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर राजा, पुलिस लाईन रोड, एल0आर0पी0 गेस्ट हाऊस के सामने, बहराइच को 60 सीटों के साथ आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सौकराधिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, जिसकी कैबिनेट निर्णय तिथि से 03 वर्ष तक होगी।

उह प्रमाणित किया जाता है कि

- (क) आवेदक के पास 60 शैक्याओं वाला अस्पताल है।
- (ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में वांछनीय है।
- (ग) मुख्य द्रस्टी, सर्वेश शुक्ला चैरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर राजा, पुलिस लाईन रोड, एल0आर0पी0 गेस्ट हाऊस के सामने, बहराइच द्वारा डा0 सर्वेश कुमार शुक्ला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ग्राम व पोस्ट सबलापुर, तहसील महसी, जनपद बहराइच उ0प्र0 में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना उचित है एवं उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रमत्र-4 पर) इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त संस्था महाविद्यालय के क्षेत्र का अभिलेखों में तथा भौतिक रूप से चिन्हांकन एवं सीमांकन तथा एन0सी0आई0एस0एम0 की अधिसूचना दिनांक 19.07.2012, 07.11.2016 एवं 18.06.2019 में उल्लिखित मानकानुसार समस्त संसाधनों एवं भूमि की कमी की पूर्ति एन0सी0आई0एस0एम0 के निरीक्षण के पूर्व अवश्य कर लें।

उह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री है। आगे प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रार्थी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मानदण्डों के अनुसार अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,  
  
 (शिलेन्द्र कुमार)  
 संयुक्त सचिव।

#### संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, सी0सी0आई0एम0 (नवीन न्म भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग), 61-65, भारतीय चिकित्सा पद्धति भवन, डी0-ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 2- सचिव, आयुष मंत्रालय, बी0-ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, आई0एन0ए0 नई दिल्ली।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- कुलसचिव, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- 5- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा चरण)  
 अनु सचिव।

113

पृष्ठ 4

(दिले विनियम 6)

राज्य सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र

संख्या-3556/96-आयुष-1-2022-126/2021

उत्तर प्रदेश शासन

आयुष अनुभाग-1

भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग/आयुष

दिनांक 28 अक्टूबर, 2022

सेवा में

मुख्य दस्ती  
सदेश सुवला वैरिबल दस्त,  
राजपुर सला पुलिस लाइन रोड,  
एलएचएलपीए मेरठ हाऊस के सामने,  
बहादुरगंज।

विषय: स.स. सुदेश कुमार सुवला आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, ग्राम च पोस्ट रावलापुर, तहसील महरी, जनपद बहादुरगंज जिला में बी।ए।एम।एस।ओ पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु 60 सीट पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

सम्बन्ध: अ.स. मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं नूतनांकन), उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र दिनांक 20.09.2022

संदर्भ

निम्न तथ्यों के संबंध में वांछित "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा रहा है:-

1	राज्य में विद्यमान चिकित्सा और आयुर्वेद संस्थानों की संख्या	08 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज तथा निजी क्षेत्र में 73 आयुर्वेदिक कालेज
2	उत्पन्न सीटों की संख्या अथवा प्रतिवर्ष उत्पन्न चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	स्नातक- 588 राजकीय एवं 5400 निजी क्षेत्र स्नातकोत्तर- 95 राजकीय एवं 216 निजी क्षेत्र
3	राज्य परिषद/भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	42018
4	राज्य सरकार में सेवारत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की संख्या	2204 सविदा लगभग 1000
5	राज्य, विशेष रूप से ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त सरकारी पदों की संख्या	चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) 611 चिकित्साधिकारी (सामु.स्वा.) 962
6	राज्य राजगार कार्यालय में पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या	सामान्यतः राज्य के रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक चिकित्सकों राजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं कराते हैं।
7	राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों एवं जनसंख्या का अनुपात	1 : 5712
8	चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर राज्य में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों की जन शक्ति की कमी की समस्या किस प्रकार से हल होगी तथा राज्य में चिकित्सा कर्मियों की तपनक्षता में किस प्रकार से सुधार आएगा।	आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना/स्नातक- /स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का उद्देश्य योग्य चिकित्सक बनाना है तथा प्रशिक्षणोपरान्त व्याधियों (रोगों) को दूर कर मानव ज्ञान शक्ति को सुदृढ़ करना है।
9	छात्र, जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, पर राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश पाने की प्रतिबद्धता अधिरोपित, यदि कोई है, का उल्लेख करें।	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक स्तर पर प्रवेश शासन के निर्देशानुसार होता है।
10	प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय खोलने/प्रवेश क्षमता बढ़ाने/नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए पूर्ण औचित्य।	योग्य चिकित्सक/चिकित्सा शिक्षक तैयार करना।

*(Handwritten Signature)*

[ 31 ] आयुर्वेद चिकित्साक क्षेत्रातील अनुदान

[ निर्दिष्ट पत्र ]

मुंबई दस्ती, सर्वोच्च शुभला वैरिटेबल ट्रस्ट, रामपुर राजा, फुडिस लाईन रोड, प्लॉअरआई०एन००१० गेट हाऊस  
के सामने बहरादुच हास हा० सर्वोच्च कुमार शुभला आयुर्वेदिक वैदिक कालेज, ग्राम य पोस्ट, सयलापुर, महाराष्ट्र  
महाराष्ट्र राज्य बहरादुच हास हा० आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करणे के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर  
प्लॉअरआई०एन००१० गेट हाऊस के सामने रामपुर राजा फुडिस लाईन रोड, प्लॉअरआई०एन००१० गेट हाऊस के सामने आयुर्वेद  
महाविद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक रूप से अनारपित प्रमाण पत्र  
जारी करने का निर्णय किया है जिसकी कृपया निर्दिष्ट विधि से वापस कर ली जाये।

उक्त प्रमाणित किया जाता है कि

- (क) आउटलेट के पास 60 सीमाओं वाला अस्पताल है।
- (ख) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर सी०सी०आई०एन००१० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना जनहित में  
करणीय है।
- (ग) मुंबई दस्ती, सर्वोच्च शुभला वैरिटेबल ट्रस्ट, रामपुर राजा, फुडिस लाईन रोड, प्लॉअरआई०एन००१० गेट हाऊस  
के सामने बहरादुच हास हा० सर्वोच्च कुमार शुभला आयुर्वेदिक वैदिक कालेज, ग्राम य पोस्ट, सयलापुर,  
महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य बहरादुच हास हा० आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 60 सीटों पर  
सी०सी०आई०एन००१० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना अर्थात् इस उक्त अनारपित प्रमाण पत्र (प्रपत्र-4 पर) इस शर्त  
के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त संस्था महाविद्यालय के क्षेत्र का अधिलेखों में तथा भौतिक रूप से  
चिकित्सा एवं सीमांकन तथा एन०सी०आई०एन००१० की अधिसूचना दिनांक 19.07.2012, 07.11.2016  
एवं 18.06.2019 में उल्लिखित मानकानुसार समस्त संसाधनों एवं भूमि की कमी की पूर्ति  
एन०सी०आई०एन००१० के निर्देशों के पूर्ण अन्वय कर लें।

उक्त भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित महाविद्यालय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन  
नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) के मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त वैदिक सामग्री है। आगे प्रमाणित  
किया जाता है कि यदि प्राथी आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मानदण्डों  
के अनुसार अधिसूचना उपलब्ध करने में असमर्थ रहते हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आगे प्रवेश रोक दिया जाता है  
तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में पहले से प्रविष्ट छात्रों की पूरी जिम्मेदारी लेगी।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यद्विही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, सी०सी०आई०एन००१० (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग), 61-65, भारतीय  
चिकित्सा पद्धति भवन, डी०-ब्लाक के सामने जनकपुरी, नई दिल्ली।
- 2- सचिव, आयुष मंत्रालय, डी०-ब्लाक, आयुष भवन, भारत सरकार, जी०पी०ओ० काम्प्लेक्स, आई०एन०ए०  
नई दिल्ली।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- कुलसचिव, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- 5- निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं पूर्वांकन), उ०प्र० लखनऊ।
- 7- डाई फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा चरण)

अनु सचिव।